Government is sensitive to these issues as brought out below:—

Although, as pointed out by the Parliamentary Standing Committee, the differential advantages enjoyed by these units vis-a-vis the domestic exporters have narrowed down following liberalisation. The range of facilities provided under the EOU/EPZ scheme; such as duty free import of capital goods and raw materials, excise exemption for domestic goods, streamlined approval procedure, foreign equity participation upto 100%, 5 year tax holiday, ready infrastructure in the case of EPZs and limited access to domestic market; makes the scheme still relevant as an important vehicle for encouraging export production. Basically. EOU/EPZ scheme aims to provide a competitive duty free environment for export production on a continuous basis rather than on a transaction to transaction basis.

Some of the steps takento improve the performance of EOU/EPZ units include simplification of Policy framework, reduction of duty on domestic sales, higher access to local market for agro-based products and delegation of powers to Development Commissioners of EPZs.

Certain measures recently taken to further enhance the attraction of the scheme are broadening of areas of activity in EPZs by providing for trading, reexport after repacking labeling and also repairs, reconditioning and reengineering, introduction of greater flexibillty of operations for electronic units in regard to minimum value addition and domestic access and liberalised debonding modalities.

Decision to import sugar

*692. SHRI V. NARAYANASAMY:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it has been decided to import sugar through STC and MMTC;

(b) if so, the quantities being imported; and

(c) by when the deliveries are expected in India and distributed to the Public Distribution System?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) STC & MMTC have been asked to import sufficent quantities of sugar for augmenting the supplies to PDS. Upto 9-6-1994 both the Corporations have finalised import of 6.26 lakh tonnes with shipment dates between June to November, 1994.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र की स्थापना

693. **श्री राम जेठमलानी :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों को सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र स्थापित किया है :

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई थी और इस तन्त्र पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष औसतन कुल कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ; और

(घ) इस तन्त्र द्वारा अब तक कुल कितने मामलों की छानबीन की गई है और उनमें से कितने मामलों में अनियमितता पायी गयी है तथा अनियमितता वाले सबसे अधिक और सबसे कम मामले किस-किस राज्य में पाये गए ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उस उपबन्ध का केन्द्रीय सरकार द्वारा कड़ाई से प्रवर्तन किया जा रहा है जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत दरों से कम दरों पर मजदूरी का भुगतान न किये जाने का प्रावधान है ।

(ख) औद्योगिक विवाद के निवारण और निपटान, श्रम निरीक्षणों, उन उद्योगों/नियोजनों जिनके लिये केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिये केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम) का गठन किया गया है। यह तंत्र देश में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन संबंधी कतिपय क्रिया कलापों को भी संपन्न करता है।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का गठन अप्रैल, 1945 में किया गया था। 1991–92 से 1993–94 (चालू पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष व्यय की गयी औसत राशि 5.7 करोड़ रुपये (योजना और गैर-योजना व्यय का योग) है। सुलभ संदर्भ के लिये विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(घ) 1988 से 1993 की अवधि के दौरान निरीक्षणों की संख्या, पाई गई अनियमितताओं, कम भुगतान से संबंधित अनियमितताओं, दाव संबंधी दायर और निर्णीत मामलों, दायर किये गये और निर्णीत अभियोजन मामलों को संबंध में सूचना सारणीबद्ध, रूप से विवरण-II में संलग्न है। (नीचे देखिए)

अधिकतम और न्यूनतम संख्या में अनियमितताओं वाले राज्य के संबंध यह सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य के दो अर्थात धनबाद और पटना पायी गई अनियमितताओं की संख्या में अग्रणी हैं। न्यूनतम संख्या में अनियमितताओं के संबंध में तीन क्षेत्रों में न्यूनतम संख्या में अनियमितताओं दर्शाने वाला विवरण–III संलग्न है।

विवरण–I

1991–92 से 1993–94 चालू पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्ष) की अवधि के दौरान मुख्य श्रमायुक्त संगठन द्वारा किया गया व्यय दर्शाने वाला विवरण

(हजार रुपयों में)

वर्ष	गैर-योजना	योजना	कुल
1991–92 . . .	45178	6110	51288
1992–93 . . .	49505	6670	56175
1993–94 . . .	55392	8451	63843
			171306

$\frac{171306}{3}$ = 57102 या 5.7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष लगभग

विवरण-II

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन से संबंधित विवरण

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	पता लगाई गयी अनियमितताओं की संख्या	कम मजदूरी का भुगतान किये जाने से संबंधित अनियमितताओं की संख्या	सुधारी गयी अनियमितताओं की कुल संख्या	दायर किये गये दावा मामलों की संख्या	निर्णीत दावा मामलों की संख्या	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	निर्णीत अभियोजनों की संख्या
1988 . . .	12091	149880	30562	131989	2350	1767	8841	4505
1989 . . .	11168	128695	18713	138380	2034	2517	9838	7627
1990 . . .	11000	115005	14628	108915	1457	1225	11488	7587
1991 . . .	10665	114091	19215	100730	1347	1225	7128	6458
1992 . . .	10092	113706	18429	104569	1852	1533	6101	3005
1993* . . .	8535	110459	11000	112913	1895	1953	5766	3896

*1993 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण–III

अनियमितताओं की सबसे कम संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र	के दौरान अनियमितताओं की संख्या		
	1989	1990	1991
अहमदाबाद (गुजरात राज्य) .	2195	3664	2261
कोचीन (केरल राज्य) . .	2565	2444	4024
चंडीगढ़ (हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य) . . .	3841	3006	3175

औसत :–

अहमदाबाद	2640
कोचीन	3011
चंडीगढ़	3340

PDS in tribal blocks in the Country

*694. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether any more districts or blocks inhabited by tribals and weaker sections have been identified for supply of specially subsidised consumer items under PDS, since the scheme was originally introduced;

(b) if so, the details of the blocks since identified for the purpose; and

(c) the steps taken to provide specially subsidised consumer items to them?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) to (c) As per present policy of the Central Government coverage of the Public Distribution System (PDS) is universal. All the Districts and Blocks in the country are covered by the PDS. Blocks covered under area specific programmes such as Desert Development Programme (DDP), Drought Prone Area Programme (DPAP), Designated Hill Areas (DHA) and Integrated Tribal Development Projects (ITDP) were identified, in consultation with the State Governments/UT Administrations, for special focus under